HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7011/2025

Vikram Saini S/o Surgyani Saini, Aged About 27 Years, R/o Dhani Gaskan Police Station Bahbru Tehsil Viragt Nagar District Kotputli-Bahror Rajasthan. (At Present Confined In Sub Jail Kotputli-Bahror).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sumer Singh Ola
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

24/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना भाबरू, जिला–कोतपुतली–बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि वास्तविकता में सहअभियुक्तगण राजू सैनी और बलराम सैनी ने ही प्रार्थी–अभियुक्त को Dicyclomine Tramadol Hcl Acetaminophen Capsules (PROXYCO SPAS) के 1200 कैपसूल देकर भिजवाया था, जिसे पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त अनपढ़ व्यक्ति है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का केवल एक धूम्रपान से संबंधित प्रकरण लंबित है, इसके अलावा और कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थी लंबे समय से दिनांक 14.04.2025 से निरंतर अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है।

प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से Dicyclomine Tramadol Hcl Acetaminophen Capsules (PROXYCO SPAS) के 1200 कैपसूल बरामद हुए हैं, जिनका कुल वजन 792 ग्राम है, जो वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम से काफी अधिक है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए और धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को देखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारों के तर्क–वितर्क पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से ही Dicyclomine Tramadol Hcl Acetaminophen Capsules (PROXYCO SPAS) के 1200 कैपसूल बरामद होना बताए गए हैं, जिनका कुल वजन 792 ग्राम है, जो वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम से काफी ज्यादा अत्यधिक है। प्रार्थी–अभियुक्त का मामला प्रकरण में संलिप्त अन्य सहअभियुक्तगण राजू सैनी और बलराम सैनी से भिन्न है। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त की विरुद्ध धारा 8/21, 22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराध का अभियोग है। प्रकरण मादक–पदार्थ की बरामदगी, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से अधिक होने से संबंधित है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /01